



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 441]	नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 1, 2019/श्रावण 10, 1941
No. 441]	NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 1, 2019/SHRAVANA 10, 1941

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 अगस्त, 2019

**सा.का.नि. 547(अ).**—केन्द्रीय सरकार, मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 212 की उपधारा (1) के अधीन यथा अपेक्षित केंद्रीय मोटर यान नियम, 1989 का और संशोधन करने के लिए प्रारूप नियम भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 292(अ) तारीख 9 अप्रैल, 2019 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किए गए थे, जिसमें प्रभावित व्यक्तियों से, उस तारीख से तीस दिन की अवधि के बीत जाने से पहले जिसको उक्त अधिसूचना में अंतर्विष्ट राजपत्र की प्रतियां जनसाधारण को उपलब्ध करा दी गई थी, आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे ;

उक्त राजपत्र अधिसूचना की प्रतियां 9 अप्रैल, 2019 को जनसारधारण को उपलब्ध करा दी गई थी ;

उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में जनसारधारण से प्राप्त किए गए आक्षेप और सुझाव पर केंद्रीय सरकार द्वारा विचार किया गया ;

अतः, केंद्रीय सरकार, मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 110 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्रीय मोटर यान नियम, 1989 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :--

**1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केंद्रीय मोटर यान (सातवाँ संशोधन) नियम, 2019 है।

(2) ये नियम राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

**2. केंद्रीय मोटर यान नियम, 1989 के नियम 115 के उपनियम (15) में,--**

(क) उपनियम (15) में,--

(i) खंड (क) के सातवें परंतुक में, "31 दिसंबर, 2019 की अवधि के लिए" शब्द, अंक और अक्षर का लोप किया जाएगा ;

(ii) खंड (कक) के दूसरे परंतुक में, "31 दिसंबर, 2019 की अवधि के लिए" शब्द, अंक और अक्षर का लोप किया जाएगा ;

(ख) उपनियम (18) के खंड (ii) के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"परंतु इस उपनियम की कोई बात, देश की प्रतिरक्षा से संबंधित सरकारी प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त मोटर यान, जो अधिनियम की धारा 60 के अधीन रजिस्ट्रीकृत है और विधि और व्यवस्था तथा आंतरिक सुरक्षा को बनाए रखने के प्रचालित प्रयोजनों के लिए (कवचदार और अन्य विशेषीकृत यान) विशेष प्रयोजन यान, को लागू नहीं होगी।"

[फा. सं. आरटी-11017/05/2016-एमवीएल]

प्रियांक भारती, संयुक्त सचिव

**टिप्पण :** मूल नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 590(अ), तारीख 2 जून, 1989 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अंत में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 511(अ) तारीख 20.07.2019 द्वारा संशोधित किए गए थे।

## MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

### NOTIFICATION

New Delhi, the 1st August, 2019

**G.S.R. 547(E).**—Whereas the draft rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, were published, as required under sub-section (1) of section 212 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number G.S.R. 292(E), dated the 9th April, 2019 in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, Sub-section (i), inviting objections and suggestions from affected persons before the expiry of the period of thirty days from the date on which copies of the Gazette containing the said notification were made available to public;

And whereas, copies of the said Gazette notification were made available to the public on the 9<sup>th</sup> April, 2019;

And whereas, objections and suggestions received from the public in respect of the said draft rules have been considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 110 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, namely: —

1. **Short title and commencement.** —(1) These rules may be called the Central Motor Vehicles (Seventh Amendment) Rules, 2019.
  - (2) These rules shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Central Motor Vehicles Rules, 1989, in rule 115, in sub-rule (15),-
  - (a) in sub-rule (15),-
    - (i) in clause (a), in the seventh proviso, the word, figures and letters “,for a period up to 31<sup>st</sup> December, 2019” shall be omitted;
    - (ii) in clause (aa), in the second proviso, the word, figures and letters “,for a period up to 31<sup>st</sup> December, 2019” shall be omitted;
  - (b) in sub-rule (18), after clause (ii), the following proviso shall be inserted, namely:-
 

“Provided that nothing in this sub-rule shall apply to the motor vehicle used for Government Purposes relating to the defence of the country which is registered under section 60 of the Act

---

and to the special purpose vehicle (armoured and other specialised vehicle) used for operational purposes for the maintenance of law and order and internal security.”

[F. No. RT-11017/05/2016-MVL]

PRIYANK BHARTI, Jt. Secy.

**Note :** The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (i), *vide* notification number G.S.R. 590(E), dated the 2<sup>nd</sup> June, 1989 and lastly amended *vide* notification number G.S.R. 511(E) dated 20.07.2019.